दिनांक- 10.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 327/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 10.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 10.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 328/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

- आज दिनांक 10.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा के समस्त थाना क्षेत्रों में बैंक चेकिंग अभियान संचालित किया गया। उक्त अभियान का उद्देश्य बैंकिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, संदिग्ध व्यक्तियों/गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखना तथा जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना रहा।
- अभियान के दौरान महोबा पुलिस द्वारा बैंकों के अंदर एवं बाहर संदिग्ध व्यक्तियों, बैंक में आने-जाने वाले ग्राहकों तथा वाहनों की सघन जांच की गई। साथ ही बैंक परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, सुरक्षा गार्डों की तैनाती एवं अन्य सुरक्षा प्रबंधों का भी निरीक्षण किया गया।
- पुलिस अधिकारियों द्वारा बैंक प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए गए।
- इसी क्रम में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में बैंक चेकिंग की गई, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच की गई तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सुरक्षा एवं सतर्कता के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ ही आमजन को साइबर ठगी से बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देकर जागरूक किया गया।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग लेन-देन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। महोबा पुलिस द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

दिनांक- 10.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 329/26

महोबा पुलिस

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण की ओर सशक्त पहल

महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महोबा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनपद महोबा में व्यापक एवं प्रभावी जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के मार्गदर्शन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर समाज के सभी वर्गों को जागरूक किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों—जैसे लिंगानुपात, लैंगिक समानता, बाल विवाह, लैंगिक शोषण, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति हिंसा, साक्षरता एवं स्वास्थ्य—पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए जनमानस को जागरूक किया गया।

इसी क्रम में जनपद के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा कोचिंग संस्थानों, बाजारों एवं ग्राम सभाओं में संवाद कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं को गुड टच-बैड टच, आत्मरक्षा के उपाय, महिला उत्पीड़न से संबंधित विधिक अधिकारों तथा विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

साथ ही वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराधों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल/लिंक, सोशल मीडिया का दुरुपयोग, बैंकिंग धोखाधड़ी एवं OTP साझा न करने के संबंध में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया।

दिनांक- 10.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 330/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी - थाना श्रीनगर

थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्ता ।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 10.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री प्रवीण सिंह द्वारा गठित उ0नि0 कन्हैयालाल मय हमराह हे0कां0 विनोद कुमार व रि0कां0 अभिषेक यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त गिरधारी राजपूत पुत्र स्व0 गुलाब राजपूत उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम सिजवाहा थाना श्रीनगर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 सफेद रंग की बोरी में 17 क्वाटर झूम ब्राण्ड देशी शराब नाजायज बरामद करते हुये ग्राम बिलरही थाना श्रीनगर जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 129/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 कन्हैयालाल पटेल
2. हे0कां0 विनोद कुमार
3. रि0कां0 अभिषेक यादव

गिरफ्तार अभियुक्त -

गिरधारी राजपूत पुत्र स्व0 गुलाब राजपूत उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम सिजवाहा थाना श्रीनगर जनपद महोबा

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 01 सफेद रंग की बोरी में 17 क्वाटर झूम ब्राण्ड देशी शराब नाजायज बरामद।

दिनांक- 10.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 331/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी - थाना चरखारी

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना चरखारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित उ0नि0 मलखान सिंह मय हमराह हे0कां0 राजकुमार व कां0 राहुल यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त नितेश बसोर पुत्र सुखलाल उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम रिवई थाना चरखारी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद करते हुये ग्राम जतौरा थाना चरखारी जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 148/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया। ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

नितेश बसोर पुत्र सुखलाल उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम रिवई थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 मलखान सिंह

2.हे0कां0 राजकुमार 3.कां0 राहुल यादव

बरामदगी -

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना।

दिनांक- 10.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 332/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ - थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 10.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री अवधेश कुमार मिश्रा द्वारा गठित उ0नि0 विकास तिवारी मय हमराह कां0 अभय पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त रामपाल कुशवाहा पुत्र मोहनलाल कुशवाहा उम्र 45 वर्ष निवासी मो0 टौरियापुरा थाना कुलपहाङ जनपद महोबा सम्बन्धित एसटी नं0 39/19 अ0सं0 07/19 धारा 504/307 भादवि में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश (एफ.टी.सी.) महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामपाल कुशवाहा पुत्र मोहनलाल कुशवाहा उम्र 45 वर्ष निवासी मो0 टौरियापुरा थाना कुलपहाङ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 विकास तिवारी

2.कां0 अभय पटेल

दिनांक- 10.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 333/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा सर्किल कुलपहाड़ के समस्त विवेचकों का अर्दली रूम, विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा कर दिए गए सख्त दिशा-निर्देश...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार द्वारा सर्किल कुलपहाड़ के समस्त विवेचकों का अर्दली रूम आयोजित किया गया। अर्दली रूम के दौरान विशेष रूप से बरामदगी हेतु शेष नाबालिग (अपहता/गुमशुदा) प्रकरणों के साथ-साथ विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रत्येक लंबित नाबालिग गुमशुदगी/अपहरण प्रकरण की गहन समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि शेष नाबालिगों की बरामदगी को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए प्रभावी टीमों का गठन कर त्वरित एवं ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही सर्विलांस, तकनीकी सहायता एवं मुखबिर तंत्र का अधिकतम उपयोग करते हुए शीघ्र बरामदगी सुनिश्चित की जाए तथा परिजनों से सतत संपर्क बनाकर उन्हें प्रकरण की प्रगति से अवगत कराया जाए।

अर्दली रूम के दौरान विवेचना, NCR, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, अपहता/गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी, पंचायतनामा जांच, IGRS प्रकरणों एवं शिकायत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की भी विस्तृत समीक्षा की गई। क्षेत्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी लंबित विवेचनाओं का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए तथा NCR प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए।

इसके अतिरिक्त वांछित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी, अपहता/गुमशुदा व्यक्तियों की त्वरित बरामदगी एवं पंचायतनामा कार्यवाही को विधिसम्मत एवं पारदर्शी ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। IGRS प्रकरणों एवं प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के साथ-साथ NBW (गैर जमानती वारंट) का शत-प्रतिशत तामिला कराने हेतु सख्त निर्देश दिए गए।

साथ ही निरोधात्मक कार्यवाही को प्रभावी रूप से लागू करने, संवेदनशील प्रकरणों में विशेष सतर्कता बरतने एवं अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव पर विशेष जोर दिया गया। क्षेत्राधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता अथवा अनावश्यक विलंब कदापि स्वीकार्य नहीं होगा तथा प्रत्येक विवेचक अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, जिम्मेदारी एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करें।

दिनांक- 10.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 334/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में ऑपरेशन रक्षा के तहत महोबा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों पर चेकिंग, नाबालिगों से कार्य न कराने हेतु दिए गए सख्त निर्देश

- आज दिनांक 10.07.2026 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के आदेशानुसार तथा अपर पुलिस अधीक्षक (नोडल अधिकारी) , जनपद महोबा श्रीमती वंदना सिंह के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में महिला एवं बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु संचालित ऑपरेशन रक्षा के अंतर्गत एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।
- उक्त अभियान के तहत संकट की स्थिति में बच्चों के रेस्क्यू एवं बाल श्रम की रोकथाम हेतु थानाध्यक्ष श्री जयचन्द्र सिंह मय हमराह उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह व का0 आनन्द कुमार, थाना एएचटी जनपद महोबा, श्रीमती क्षमा (प्रभारी, वन स्टॉप सेंटर महोबा), श्रीमती अर्चना (केश वर्कर, वन स्टॉप सेंटर महोबा), श्री दीपक कुमार (कोऑर्डिनेटर, चाइल्ड लाइन महोबा) एवं श्रीमती मधुवाला चौरसिया (सदस्य, बाल कल्याण समिति महोबा) की संयुक्त टीम द्वारा महोबा नगर के विभिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग की गई।
- इस दौरान रोडवेज बस स्टैण्ड महोबा परिसर, अपना रसोई ढाबा/रेस्टोरेंट, रिलेक्स लक्जरी स्पा एवं सैलून सेंटर, कबरई रोड कोतवाली नगर जनपद महोबा सहित अन्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। चेकिंग के दौरान किसी भी स्थान पर कोई नाबालिग बालक/बालिका कार्य करते हुए नहीं पाए गए।
- टीम द्वारा स्पा सेंटर, ढाबा एवं अन्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य न कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए तथा बाल श्रम कराए जाने पर विधिक कार्यवाही किए जाने की सख्त हिदायत दी गई।
- महोबा पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया कि बाल श्रम एवं बाल शोषण के विरुद्ध इस प्रकार के अभियान निरंतर चलाए जाते रहेंगे तथा बच्चों की सुरक्षा एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

दिनांक- 10.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 335/26

महोबा पुलिस

मिशन शक्ति केन्द्र थाना अजनर की तत्परता से लापता बालक सकुशल बरामद, काउंसिलिंग उपरांत परिजनों को सुपुर्द

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में जनपद में गुमशुदा/लापता व्यक्तियों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस एवं मिशन शक्ति केन्द्र थाना अजनर द्वारा सराहनीय कार्य किया गया।
- आज दिनांक 10.07.2026 को थाना अजनर पर आवेदक अरविन्द राजपूत पुत्र कृपाल राजपूत निवासी ग्राम रजपुरा, थाना अजनर, जनपद महोबा द्वारा सूचना दी गई कि उनका पुत्र शिवसहाय (उम्र लगभग 13 वर्ष) दिनांक 09.07.2026 से लापता है।
- उक्त सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मिशन शक्ति टीम द्वारा परिजनों के साथ लापता बालक की गांव एवं आसपास क्षेत्रों में सघन तलाश की गई तथा स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई। तत्पश्चात दिनांक 10.07.2026 को ग्राम रजपुरा के बाहर स्थित कारसदेव बाबा मंदिर के पास लापता बालक शिवसहाय सकुशल बरामद किया गया।
- बरामदगी उपरांत बालक को मिशन शक्ति केन्द्र थाना अजनर पर लाकर काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान बालक द्वारा बताया गया कि वह मोबाइल फोन लेने की इच्छा रखता था, जिस पर परिजनों द्वारा डांट दिए जाने से वह नाराज होकर गांव के बाहर मंदिर पर चला गया था और वहीं रात्रि में ठहर गया। बालक द्वारा यह भी बताया गया कि उसके साथ किसी प्रकार की कोई आपराधिक घटना नहीं हुई है।
- बालक की इच्छा एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उसके पिता अरविन्द राजपूत की भी काउंसलिंग की गई तथा आवश्यक कार्यवाही उपरांत लापता बालक को उसके पिता को सकुशल सुपुर्द किया गया।
- मिशन शक्ति केन्द्र थाना अजनर द्वारा त्वरित कार्यवाही एवं संवेदनशील काउंसलिंग के माध्यम से प्रकरण का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया।

दिनांक- 10.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 337/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कुलपहाड़ क्षेत्र में सघन पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, आमजन से संवाद कर दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा।

जनपद महोबा में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से आज दिनांक 10 जुलाई 2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा थाना कुलपहाड़ क्षेत्र में सघन पैदल गश्त (फुट पेट्रोलिंग) की गई। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार एवं प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ श्री अवधेश मिश्रा सहित पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा।

पैदल गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने गोंदी तिराहा, बस स्टैंड, मुख्य बाजार, सराफा मार्केट एवं बाजार वार्ड सहित मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण कर सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहन परीक्षण करते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल की सतर्कता, सक्रियता एवं कार्यप्रणाली का भी जायजा लिया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों एवं आमजन से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना तथा सुरक्षा संबंधी फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि महोबा पुलिस उनकी सुरक्षा हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस संवाद से आमजन में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण और अधिक सुदृढ़ हुआ।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में नियमित एवं प्रभावी गश्त सुनिश्चित की जाए, जनसंपर्क को प्राथमिकता दी जाए तथा संदिग्ध व्यक्तियों एवं असामाजिक तत्वों पर सतत निगरानी रखी जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्राप्त होने वाली प्रत्येक सूचना पर त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे शांति एवं कानून-व्यवस्था हर हाल में अक्षुण्ण बनी रहे।

महोबा पुलिस द्वारा जनपद में शांति, सुरक्षा एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु लगातार ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे आमजन में सुरक्षा का भाव और अधिक मजबूत हो तथा अपराध एवं अराजक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।